न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 169/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : **राज्य सरकार** बनाम अल्लारख

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदरासर/40 एसडीकेपी अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल अल्लारख पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी उदरासर/40 एसडीकेपी द्वारा ग्राम उदरासर/40 एसडीकेपी के आराजी खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है० किस्म भूमि गै.मु.शमशान भूमि में से 0.48 है० भूमि पर सम्वत् 2025 में नाजायज बाड़ा लगाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा है कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाई जावे

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर बाड़ा लगाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल अल्लारख का उक्त खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है. है. बाड़ा लगाकर भूमि में से 0.48 है० भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल अल्लारख अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल अल्लारख जाति नायक निवासी उदरासर/40 एसडीकेपी द्वारा ग्राम उदरासर/40 एसडीकेपी के आराजी ख.नं. 89 तादादी 2.87 है. गै.मु.शमशान भूमि में से 0.48 है० भूमि का सम्वत् 2025 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.48 का 50 गुणा से 24=00 रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 5-3-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) सजे